

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ.4( )लेखा/बजट प्लान/नि:जॉच/2012-13/ 7857-63

दिनांक : 18-3-13

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (संबंधित),  
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (संबंधित)

विषय :- मुख्यमंत्री नि:शुल्क जॉच योजना अन्तर्गत बजट आवंटन बाबत।  
संदर्भ :- प्रमुख शासन सचिव महोदय का पत्रांक एफ.( )एमएनजेवाई/चिकित्सा/2013/311/  
दिनांक 02.02.2013 (कृ. सं. 787 दि. 1-2-2013)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रांक की प्रति संलग्न कर लेख है कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क जॉच योजना अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में आपको राशि 2110.00 लाख (अक्षरे राशि रु. इक्कीस करोड़ दस लाख मात्र) संलग्न:-(अ) अनुसार का बजट निम्नलिखित बजट मद शीर्ष में आवंटित किया जाता है।

(राशि लाखों में)


Budget Head	Demand No.	Amount
2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 06- लोक स्वास्थ्य 101-रोगों का विनाश तथा नियंत्रण (20)-नि:शुल्क जॉच योजना [01]-निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए के माध्यम से	26	1495.00
2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 06- लोक स्वास्थ्य 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट सघटक योजना (03)-नि:शुल्क जॉच योजना [01]-निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए के माध्यम से	51	320.00
2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 06- लोक स्वास्थ्य 796- अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता (07)-नि:शुल्क जॉच योजना [01]-निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए के माध्यम से	30	295.00
<b>Total</b>		<b>2110.00</b>

(अक्षरे राशि रु. इक्कीस करोड़ दस लाख मात्र)

नोट:- कार्यालय के बजट आवंटन पत्र क्रमांक: ए 4(1)लेखा/बीएनपी/11/122 दिनांक 12.04.2012 में दिये गये

निर्देशों की भी पालना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (2)+।

  
निदेशक (जन.स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ.4( )लेखा/बजट प्लान/नि:जॉच/2012-13/ 7857-63

दिनांक : 18-3-13

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर।
2. उपशासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (ग्रुप-2) राज0 जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, राज0 मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (योजना) मुख्यालय।
5. प्रभारी अधिकारी डी.डी.सी. मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम कृपया विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

  
निदेशक (जन.स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

**Government of Rajasthan**  
**Directorate Medical & Health Services Rajasthan, Jaipur**  
**Budget Allotment for Nishulk Jaanch Scheme for Year 2012-13**

2210-06-101-20-01 (PLAN)

(Rs. In Lacs)

S.No	Name of PMO	District	12 Grant in Aid
1	Ajmer	Ajmer	15.00
2	Bewar		50.00
3	Kekri (By CMHO)		30.00
4	Kishangarh		40.00
5	Nasirabad		30.00
6	Alwar	Alwar	50.00
7	Baran	Baran	50.00
8	Balotra	Barmer	40.00
9	Barmer		45.00
10	Bharatpur	Bharatpur	50.00
11	Bhilwara	Bhilwara	60.00
12	Shahpura		15.00
13	Bundi	Bundi	50.00
14	Chittorgarh	Chittorgarh	50.00
15	Nimbaheda (By CMHO)		30.00
16	Dholpur	Dholpur	50.00
17	Dausa	Dausa	40.00
18	Banipark	Jaipur	15.00
19	Jaipuria		30.00
20	Kanwatia		40.00
21	Kotputali		45.00
22	Sethi Colony		15.00
23	Jaisalmer	Jaisalmer	40.00
24	Jalore	Jalore	40.00
25	Mahila Bagh (By CMHO)	Jodhpur	15.00
26	Mandore		15.00
27	Pavata		30.00
28	Hindaun (By CMHO)	Karauli	30.00
29	Karauli		45.00
30	Rampura (By CMHO)	Kota	30.00
31	Deedwana	Nagaur	30.00
32	Ladnu		30.00
33	Nagaur		40.00
34	Pali	Pali	50.00
35	Sojat City		40.00
36	Nathdwara	Rajsamand	45.00
37	Rajsamand		40.00
38	Gangapur City (By CMHO)	Sawai Madhopur	40.00
39	Sawai Madhopur		50.00
40	Tonk	Tonk	45.00
	<b>Total A</b>		<b>1495.00</b>

2210-06-789-03-01 (PLAN)

41	Bikaner	Bikaner	30.00
42	Churu	Churu	50.00
43	Ratangarh		30.00
44	Sujangarh		30.00
45	Hanumangarh	Hanumangarh	40.00
46	Jhunjhunu	Jhunjhunu	40.00
47	Sikar	Sikar	50.00
48	Shri Ganganagar	Shri Ganganagar	50.00
	<b>Total B</b>		<b>320.00</b>

2210-06-796-07-01 (PLAN)

49	Banswara	Banswara	50.00
50	Dungarpur	Dungarpur	50.00
51	Sagawara		40.00
52	Sirohi	Sirohi	40.00
53	Chandpol	Udaipur	15.00
54	Hiranmagri		30.00
55	Salumbar (By CMHO)		30.00
56	Pratapgarh	Pratapgarh	40.00
	<b>Total C</b>		<b>40.00</b>
	<b>Grand Total</b>		<b>295.00</b>
			<b>2110.00</b>

  
 Director (PH)

 Medical & Health Services Raj.  
 Jaipur

①

**राजस्थान सरकार**  
**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग**

क्रमांक :- एफ0 ( ) एमएनजेवाई/चिकित्सा/2013/311

दिनांक: 02-02-2013

समस्त सभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर  
समस्त संयुक्त निदेशक (जोन)  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

**विषय :- मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना की सफल क्रियान्वति हेतु बजट स्वीकृति के क्रम में।**


उपर्युक्त विषयान्तर्गत श्रीमान् मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 03.01.2013 को आयोजित मिटिंग के मिनिट्स के अनुसार प्रथम चरण हेतु वित्त विभाग द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 25.00 करोड़ की अनुदान राशि (Grant in Aid) Short Term arrangement हेतु स्वीकृत किए जाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की है। उक्तानुसार राशि मार्च 2013 के द्वितीय पखवाड़े में अनुपूरक माँगे पारित होने के पश्चात् सम्बन्धित RMRS को उपलब्ध करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना के प्रथम चरण का क्रियान्वयन अस्पताल स्तर पर गठित आरएमआरएस के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु मेडिकल कॉलेज अस्पताल व उससे संबंधित चिकित्सालयों हेतु सभागीय आयुक्त एवं जिला चिकित्सालय, उप-जिला चिकित्सालय व सेटेलाइट चिकित्सालयों हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आरएमआरएस की बैठक आयोजित कर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियों की जानी है।

योजना को लागू करने हेतु निम्न गतिविधियाँ (SHORT TERM ACTIVITIES) तुरन्त की जानी हैं:-

1. लैब एवं एक्स-रे विभाग का सिविल मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य (Repair, renovation, establishment of collection counter & report distribution centers)
2. मानव संसाधन की व्यवस्था (Deployment through RMRS or deputation of existing staff)
3. उपकरणों की मरम्मत (Repair of existing equipments & Arrange new diagnostic equipments through outsourcing or transfer from other units of Govt.)
4. लैब रिएजेंट्स आदि का क्रय (Purchase of Reagent & Consumables)
5. चिकित्सकों एवं तकनीकी कर्मचारियों का प्रशिक्षण (Orientation and Hands on Training of Doctors and LT, LA, RG etc.)
6. प्रयोगशाला के बाहर बोर्ड पर की जाने वाली जाँचों की सूची (Display boards)

उपरोक्त गतिविधियों की क्रियान्वति हेतु वित्त विभाग से बजट प्राप्त होने के पश्चात् चिकित्सा संस्थानवार संलग्न सूची के अनुसार आरएमआरएस को हस्तान्तरित किया जावेगा। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराएँ।  
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


  
प्रमुख शास्त्र सचिव  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

दिनांक: 02-02-2013

क्रमांक :- एफ0 ( ) एमएनजेवाई/चिकित्सा/2013/311

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 एवं आयुर्वेद विभाग, राज0 जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर, राजस्थान।
3. सभागीय आयुक्त, (समस्त) राजस्थान।
4. संयुक्त निदेशक, जोन (समस्त) राजस्थान।
5. जिला कलेक्टर, (समस्त) राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना, आर एम एस सी, जयपुर राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

**Government of Rajasthan  
Medical and Health Department**

No. 737

Date: 01.03.2013

**Office Order**

Government of Rajasthan has decided that basic investigations will be provided free of cost to all the patients visiting government health institutions under "Mukhyamantri Nishulak Janch Yojana". In the first phase the scheme will be implemented at all MCH, DH, SDH and SH from 7th April 2013 and the number of free test will be 57 at MCH and 44 at DH/SDH/SH.


For proper implementation of MNJY, the instructions and outsourcing guidelines for equipments and man power at District, Sub District and Satellite Hospitals for the first phase of MNJY are attached. This policy is applicable for DH/SDH/SH.

Additional equipments and man power available at CHC's, PHC's and Dispensaries may be temporarily shifted to DH/SDH/SH within the district for effective implementation of MNJY and to take care of back up.

CMHO's and PMO's are advised to take action accordingly.

In case of any doubt please get in touch with control room at directorate M & H Phone No. (0141-2225624).

Encl:- As Above.


  
Principal Health Secretary  
Medical and Health Department  
Rajasthan, Jaipur

Date: 01.03.2013

No. 737

**Copy forward to the following:-**

1. PS to Hon'ble Health Minister, Rajasthan, Jaipur.
2. PS to Principal Secretary, Medical Education, Rajasthan, Jaipur.
3. Secretary and MD NRHM, HQ.
4. MD, RMSCL, HQ.
5. All Collector's, Rajasthan
6. All Principal and Controller, Medical College, Rajasthan.
7. All Superintendents Medical College attached Hospital, Rajasthan.
8. All Divisional Commissioners, Rajasthan.
9. All Joint Director, Medical and Health Services(Zone), Rajasthan.
10. All Chief Medical & Health Officer, Rajasthan.
11. All Principal Medical Officer, Rajasthan.
12. Office Copy.

  
Director (PH)  
Medical and Health Department  
Rajasthan, Jaipur